कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक/3/187/तकनीकी/2012 भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 20..

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन
समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक
समस्त वरिष्ठ उप पंजीयक/उप पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः–स्टाम्प अधिनियम के तहत जिला पंजीयकों द्वारा पारित आदेशों की निरंतर समीक्षा हेतु नवीन व्यवस्था।

---00---

प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा ग्वालियर में उप महानिरीक्षक पंजीयन की पदस्थापना हो चुकी है। क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन के द्वारा स्टाम्प अधिनियम के तहत वरिष्ठ जिला पंजीयकों/जिला पंजीयकों द्वारा पारित आदेशों की निरंतर समीक्षा हेतु निम्नानुसार नवीन व्यवस्था निर्धारित की जाती है –

1. सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत कार्य... में पारित निर्णयों की प्रति, निर्णय पारित करने के तीन दिवस के अंदर अपने क्षेत्र... महानिरीक्षक पंजीयन को भेजेंगे। आदेश की प्रति के साथ प्रकरण में संबंधित उप पंजीयक द्वारा उन्हें प्रेषित किये गये प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति भी भेजी जायेगी।

2. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, प्रत्येक प्रकरण में वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक के आदेश एवं उप पंजीयक के प्रतिवेदन का परीक्षण कर, जिला पंजीयक का आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर प्रत्येक प्रकरण में निम्नांकित बिन्दुओं पर अपनी टीप महानिरीक्षक पंजीयन को भेजेंगे।

(i) यदि प्रकरण में अपील की आवश्यकता है, तो तद्विषयक अनुशंसा एवं अपील के आधार। अन्यथा स्थिति में आदेश नस्तीबद्ध करने की स्पष्ट अनुशंसा।

निरंतर ...2

(ii) **यदि प्रकरण में उप पंजीयक अथवा जिला पंजीयक के** स्तर पर कोई अनियमितता प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होती है, तो संबंधित प्रकरण में पाई गई अनियमितता का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय को भेजी जाएगी।

3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिये निम्नलिखित प्रारूप में पंजी का संधारण किया जावेगा, जिसमें उनके द्वारा उस जिले के स्टाम्प प्रकरणों में पारित आदेशों पर की गई अनुशंसा का निम्नानुसार विवरण अभिलिखित किया जाएगा। इस पंजी में उस जिले के प्रत्येक उप पंजीयक कार्यालय के लिये पृथक–पृथक पृष्ठ निर्धारित किये जाएंगे।

स. क्र	स्टाम्प प्रकरण से संबंधित उप पंजीयक कार्यालय का नाम	दस्तावेज का क्रमांक तथा दिनांक	स्टाम्प प्रकरण क्रमांक	स्टाम्प प्रकरण में आदेश पारित करने का दिनांक	दस्तावेज में दर्शाया गया संपत्ति का बाजार मूल्य	स्टाम्प प्रकरण में पारित आदेशानुसार संपत्ति का निर्धारित बाजार मूल्य	स्टाम्प प्रकरण पारित आदेशानुसार नियत कमी स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8

अपील की आवश्यकता के संबंध में अनुशंसा		अनुशासनात्मक कार्यवाही के विषय में अनुशंसा		रिमार्क
अनुशंसा संबंधित विवरण	अनुशंसा के कारण	वह अधिकारी जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है	अनुशंसा का आधार	
9	10	11	12	13

निरंतर....3

4. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, स्टाम्प प्रकरणों में वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक द्वारा पारित किये गये आदेश का परीक्षण करने के अनुक्रम में जिला पंजीयक आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस की समयावधि में अपील करने अथवा नहीं करने की अपनी अनुशंसा के संबंध में संबंधित उप पंजीयक को अवगत कराएंगे।

5. दिनांक 01.01.2013 से वरिष्ठ जिला पंजीयकों/जिला पंजीयकों द्वारा स्टाम्प अधिनियम के तहत सभी प्रकरणों में पारित आदेशों के लिए उपरोक्त व्यवस्था लागू होगी।

हस्ता/-
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 3581/तकनीकी/2012 भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2012

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश